

स्नातक स्तर पर प्रस्तावित नवीन महाविद्यालयों को अनापत्ति / निर्वाधन (वलीयरेन्स) हेतु आवेदन पत्र।

१	संस्थान / महाविद्यालय का नाम
२	संचालन सोसायटी / ट्रस्ट का नाम
३	सोसायटी / ट्रस्ट के पंजीकरण / नवीनीकरण की रिथति सम्बन्ध
४	प्रस्तावित नवीन महाविद्यालय संस्थान / सोसायटी या ट्रस्ट के सम्बन्ध में यायलाज में उच्च शिक्षा प्रदान करने की रिथति का प्रमाण पत्र।
५	प्रस्तावित नवीन महाविद्यालय संस्थान / सोसायटी या ट्रस्ट द्वारा महाविद्यालय खोलने हेतु समिति की कार्यवाही का प्रमाण पत्र।
६	पाठ्यक्रम का नाम, जिसके लिये निर्वाधन / अनापत्ति बीँछित है
७	जिस स्थान पर महाविद्यालय स्थापित किया जा रहा है उसके पास 15 किमी. की परिधि में कितने महाविद्यालय हैं?
८	प्रस्तावित महाविद्यालय से जिला मुख्यालय एवं विश्वविद्यालय मुख्यालय की दूरी एवं रुट चार्ट।
९	उस क्षेत्र में 15 किमी. की परिधि में स्थित महाविद्यालयों में क्या—क्या पाठ्यक्रम संचालित हैं?
१०	उस क्षेत्र में उच्च शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति विद्यमान महाविद्यालयों को देखते हुये किस सीमा तक अपूर्ण रह जाती हैं?
११	क्या प्रस्तावित स्थान पर नवीन महाविद्या खोलने से उस क्षेत्र में विद्यमान महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु स्वीकृत छात्र संख्या पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव के प्रस्तावित नये महाविद्यालय में प्रथम वर्ष में न्यूनतम 100 छात्र उपलब्ध हो सकेंगे?
१२	महाविद्यालय / संस्थान के नाम के साथ राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय, अखिल भारतीय या इसके समतुल्य नाम अंकित तो नहीं है तथा महाविद्यालय / संस्थान का नाम जीवित व्यक्ति या जाति विशेष के नाम पर तो नहीं है?
१३	महाविद्यालय संस्थान को संचालित करने वाली संस्था / ट्रस्ट का यथा चार्टड एकाउण्टेन्ट द्वारा निर्गत विगत तीन वर्षों का बैलेसरीट एवं ट्रस्ट की रिथति में तहसीलदार द्वारा प्रमाणित वार्षिक आय का प्रमाण पत्र।
१४	संस्था के खाते का स्टेटमेंट / पासबुक की छायाप्रति का प्रमाण
१५	प्रस्तावित महाविद्यालय संस्थान / सोसायटी या ट्रस्ट के नाम उपलब्ध भूमि के खिलाफ कोई याद / विवाद तो नहीं है, का प्रमाण पत्र।
१६	महाविद्यालय संस्थान / सोसायटी या ट्रस्ट के नाम प्रस्तावित पाठ्यक्रम हेतु उपलब्ध भूमि का विवरण (क्षेत्र के किसी राजस्व अधिकारी से सत्यापित अभिलेखीय साक्ष्यों के साथ) अथवा कम से कम 30 वर्ष के लिए लीज पर हो तथा लीज डीड पंजीकृत होने की रिथति का प्रमाण
१७	महाविद्यालय संस्थान / सोसायटी या ट्रस्ट के नाम उपलब्ध भूमि का विवरण राजस्व अभिलेखों में अंकित हो खतीनी / संयुक्तता / नजरी नवया की गूलप्रति एवं बैनामा की छायाप्रति का प्रमाण पत्र।
१८	नवीन महाविद्यालय के संचालित पाठ्यक्रम के भवन का स्पष्ट ब्लू प्रिन्ट नवशा आर्काइव्स द्वारा निर्गत का प्रमाण पत्र।
१९	शासनादेश के अनुरूप मुख्य सड़क मार्ग से प्रस्तावित महाविद्यालय तक सम्पर्क मार्ग ग्रामीण क्षेत्र हेतु 15 फिट एवं नगर पालिका / नगर निगम क्षेत्र हेतु 20 फिट चौड़ा रास्ता होने का प्रमाण पत्र।
२०	प्रस्तावित महाविद्यालय / संस्थान ग्रामीण क्षेत्र / नगर निगम / नगरपालिका परिषद में स्थित होने के सम्बन्ध में सप्रमाण विवरण संक्षण प्राधिकारी द्वारा निर्गत।
२१	प्रबंधक द्वारा अनापत्ति प्रस्ताव में सभी मानक पूर्ण होने के सम्बन्ध में प्रबंधक एवं एक सादरस्य का संयुक्त शपथपत्र (फोटोयुक्त) संलग्न है, तथा आई.टी.आई. एवं पालिटेक्निक आदि संचालित न कराये जाने से सम्बन्धित शपथपत्र का प्रमाणपत्र पत्र।
२२	सम्बद्धता पुल्क का प्रमाण
२३	प्रबंधक का नाम
२४	व. नम० ० नम्बर
२५	पैन नम्बर (सोसायटी / ट्रस्ट)

**पूर्व से संचालित महाविद्यालयों को स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर अनापत्ति/निर्वाधन (वलीयरेन्स) हेतु
आवेदन पत्र का प्रारम्भ।**

1	संस्थान/महाविद्यालय का नाम
2	महाविद्यालय का स्थापना वर्ष
3	महाविद्यालय में पूर्व से सम्बद्ध/संचालित विषयों/पाठ्यक्रमों का विवरण
4	संचालन सोसायटी/ट्रस्ट का नाम
5	सोसायटी/ट्रस्ट के पंजीकरण/नवीनीकरण की विधिति सम्बन्ध
6	पाठ्यक्रम का नाम, जिसके लिये निर्वाधन/अनापत्ति चाहिए है
7	महाविद्यालय से जिला मुख्यालय एवं विद्यालय मुख्यालय की दूरी एवं रुट चार्ट।
8	उस क्षेत्र में 15 किमी. की परिधि में विधित महाविद्यालयों में (पी0जी0 स्तर पर) वया—क्या पाठ्यक्रम संचालित है?
9	वया विद्यालय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रम से सम्बद्धता की संतुष्टि करने पर क्षेत्र के अन्य महाविद्यालयों पर विना किसी कुप्रभाव के स्नातक स्तर पर 60 छात्र तथा इनातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 30 छात्र उपलब्ध हो सकेंगे?
10	महाविद्यालय/संस्थान को संचालित करने वाली संस्था/ट्रस्ट का वया आर्टिटेक्टुर द्वारा निर्गत विगत तीन वर्षों का वैलेससीट एवं ट्रस्ट की विधिति में ताहसीलदार द्वारा प्रमाणित वार्षिक आय का प्रमाण पत्र।
11	संस्था के खाते का स्टेटमेंट/पात्रबुक की छायाप्रति का प्रमाण
12	महाविद्यालय संस्थान/सोसायटी के खिलाफ कोई धाव/विवाद तो नहीं है, का प्रमाण पत्र।
13	महाविद्यालय संस्थान/सोसायटी या ट्रस्ट के सम्बन्ध में वायलाज में उच्च विद्या प्रदान करने की विधिति का प्रमाण पत्र।
14	महाविद्यालय संस्थान/सोसायटी या ट्रस्ट द्वारा महाविद्यालय छोलने हेतु समिति की कार्यवाही का प्रमाण पत्र।
(क)	महाविद्यालय संस्थान/सोसायटी या ट्रस्ट के नाम प्रस्तावित पाठ्यक्रम हेतु उपलब्ध भूमि का विवरण (क्षेत्र के किसी राजरव अधिकारी से सत्यापित अभिलेखीय साक्षों के साथ) अध्या कम से कम 30 वर्ष के लिए लीज पर हो तथा लीज डीड पंजीकृत होने तथा संयुक्तता/नजरी नवका का प्रमाण।
(ख)	महाविद्यालय संस्थान/सोसायटी या ट्रस्ट के नाम प्रस्तावित का प्रमाण पत्र।
(ग)	महाविद्यालय के भूमि के बैनामा की छायाप्रति का प्रमाण पत्र।
16	महाविद्यालय के संचालित पाठ्यक्रम के भवन का स्पष्ट रूप प्रिन्ट नक्शा आर्किटेक्ट द्वारा निर्गत का प्रमाण पत्र।
17	पूर्व से संचालित विषय/पाठ्यक्रमों में मानकानुसार विश्वविद्यालय से अनुमोदित प्राचार्य/प्रवक्ताओं का अनुमोदन/संविदा एवं बैंक खाते से ऐलन भुगतान किये जाने का सप्रमाण विवरण।
18	पश्चनातक पाठ्यक्रम के लिए निर्वाधन/अनापत्ति वाहित है तो उससे सम्बन्धित स्नातक स्तरीय विषय की मान्यता की अवधि विद्यालय अनुदान आयोग की धारा 2 एफ में पंजीकरण वा प्रमाण सहित विवरण तथा महाविद्यालय/संस्थान/पाठ्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र या नगर निगम क्षेत्र में संचालित होने का सप्रमाण का विवरण।
19	अनिवार्य प्रमाण पत्र/भूकम्परोधी प्रमाण पत्र।
20	शासनादेव के अनुरूप मुख्य सड़क मार्ग से प्रस्तावित महाविद्यालय तक सम्पर्क मार्ग ग्रामीण क्षेत्र हेतु 15 फिट एवं नगर पालिका/नगर निगम क्षेत्र हेतु 20 फि कट चौड़ा रस्ता होने का प्रमाण पत्र।
21	प्रबंध समिति का प्रमाण
22	प्रबंधक द्वारा अनापत्ति प्रस्ताव में सभी मानक पूर्ण होने के सम्बन्ध में प्रबंधक एवं एक सदस्य का संयुक्त शपथपत्र (फोटोयुक्त) संलग्न है, तथा आई.टी.आई. एवं पालिटेक्निक आदि संचालित न कराये जाने से सम्बन्धित शपथपत्र का प्रमाणपत्र पत्र।
23	पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों का विगत सात्रों 2017–18, 2018–19, 2019–20, का परीक्षाफल एवं सामूहिक नक्ल सात्र, 2017–18, 2018–19, 2019–20, (यूएफओ०) में न होने का प्रमाण-पत्र।
24	पूर्व में संचालित पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में, जमा किये गये Endowment की छायाप्रति का प्रमाण-पत्र।
25	शासनादेव दिनांक 21 अक्टूबर 2006 एवं शासनादेव दिनांक 30 जून 2014 के अनुसार मानक पूर्ण करने का प्रमाण पत्र।
26	पूर्व सम्बद्धता प्राप्त पाठ्यक्रम में संचालित अस्थाई/रथाई की सम्बद्धता का प्रमाण-पत्र एवं शासनादेव दिनांक 22 दिसम्बर 2016 स्तम्भ-1 (३) के उत्तर स्तम्भ-2 के (३) के अनुसार (शपथपत्र)
27	पूर्व सम्बद्धता प्राप्त पाठ्यक्रम के कक्षा संचालन/टक्कणप्रति की विधिति का प्रमाण पत्र।
28	सम्बद्धता शुल्क का प्रमाण
29	विद्यालय के लेखा विभाग द्वारा महाविद्यालय को दिया गया अधिग्रहण के सम्बन्ध में—
30	पूर्व में संचालित पाठ्यक्रमों में नियुक्त प्राचार्य/प्राच्यापकों के अनुमोदन की विधिति का प्रमाण
31	A.I.S.H.E. के अन्तर्गत पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र।
32	सम्पूर्ण परीक्षा शुल्क जमा होने का प्रमाण पत्र।
33	प्रबंधक का नाम मो० नव्यर पैन नव्यर

स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर सम्बद्धता से सम्बन्धित स्थलीय निरीक्षण आख्या का प्रारूप-

क्र.सं.	निरीक्षण-बिन्दु
1	महाविद्यालय को संचालित करने वाले समिति/द्रस्ट के पंजीकरण एवं वैधता की स्थिति।
2	महाविद्यालय की मानकानुसार भूमि महाविद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित होने से सम्बन्धित खतोनी मूलरूप में या छायाप्रति तहसीलदार/उपजिलाधिकारी से प्रमाणित होने की स्थिति।
3	महाविद्यालय की भूमि के समस्त गाँवों का संयुक्तता प्रमाण-पत्र सक्षम राजस्व अधिकारी से प्रमाणित एवं नजरी-नवशा मूलरूप में सक्षम राजस्व अधिकारी से प्रमाणित होने की स्थिति।
4	महाविद्यालय नगर निगम, नगरपालिका व नगर पंचायत क्षेत्र में अवस्थित होने की स्थिति में सन्दर्भगत निकाय के सक्षम अधिकारी का मूल प्रमाण-पत्र उपलब्ध होने की स्थिति।
5	मानकानुसार सोसायटी/द्रस्ट की विगत 03 वर्षों की सी.ए. द्वारा प्रमाणित बैलेस-सीट अथवा तहसीलदार द्वारा प्रमाणित रोसायटी/द्रस्ट की वार्षिक आय का मूल प्रमाण-पत्र।
6	मानकानुसार सोसायटी/महाविद्यालय के बचत खाते में जमा धनराशि का प्रमाण।
7	मानकानुसार संकाय/पाठ्यक्रम हेतु प्राभूत धनराशि के रूप में जमा एफ०डी०आर० की मूलप्रति को कुलसंचिव के पद नाम से बन्धक (प्लेज़) उसकी स्वप्रमाणित प्रति। तथा मूल प्रति अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाय।
8	प्रबन्ध तन्त्र के द्वारा आवेदन-पत्र में अंकित विवरण/ प्रविष्टियों तथ्यों पर आधारित एवं सही है, का प्रबन्धक एवं एक सदस्य द्वारा एक साथ रु. 100/- के स्टॉम्प पेपर पर फोटोयुक्त नोटरी से सत्यापित शपथ-पत्र मूलरूप में होने की स्थिति।
9	स्नातकोत्तर विषयों हेतु यू.जी.सी. की धारा-२एफ में पंजीकृत होने की स्थिति।
10	महाविद्यालय में पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों का विवरण एवं विगत तीन/दो वर्षों का विश्वविद्यालय द्वारा प्रमाणित/सत्यापित परीक्षाफल।
11	महाविद्यालय में मानकानुसार व्याख्यान कक्षों, पुस्तकालय, अध्यापक कक्ष, प्रशासनिक कक्ष, प्राचार्य कक्ष, परीक्षा एवं मीटिंग कक्ष, शौचालयों, पेयजल तथा चहारदीवारी आदि के निर्माण कराये जाने की स्थिति।
12	फर्नीचर एवं पुस्तकों की व्यवस्था की स्थिति।
13	प्रायोगिक पाठ्यक्रम/विषय होने की स्थिति में सम्बन्धित प्रयोगशालाएँ स्थापित होने एवं उसमें पर्याप्त उपकरण/संयन्त्र होने की स्थिति।
14	प्रबन्ध समिति के गठन व अनुमोदन की स्थिति।
15	मानकानुसार शिक्षकों एवं प्राचार्य के विश्वविद्यालय के द्वारा अनुमोदन एवं नियुक्ति तथा नियुक्ति की संविदा अवधि।
16	निरीक्षण मण्डल के सदस्यों के साथ भवन का फोटोग्राफ्स, चहारदीवारी निर्मित होने का प्रमाण-पत्र, व्याख्यान कक्षों, पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला के सुसज्जन का निरीक्षण दल के साथ स्पष्ट फोटोग्राफ्स व फोटो पर सभी सदस्यों के हस्ताक्षर उपलब्ध होने की स्थिति।
17	निरीक्षण मण्डल की संस्तुति।
18	विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता दिये जाने के सम्बन्ध में की गई संस्तुति।
19	नियुक्त प्राचार्य एवं अध्यापकों के वेतन भुगतान के सम्बन्ध में बैंक के द्वारा पुष्टि।
20	महाविद्यालय की परीक्षा में सामूहिक नकल का आरोपित न होने की स्थिति।
21	महाविद्यालय में अनिश्चित यन्त्र स्थापित होने एवं अध्यापकों/कर्मचारियों/स्टॉफ को प्रशिक्षित करने की स्थिति का प्रमाण।
22	संस्थान/महाविद्यालय को प्राप्त अनापत्ति में दरिति भूमि का विवरण।
23	महाविद्यालय भवन नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार बने होने का प्रमाण।
24	महाविद्यालय की बैंकसाइट/ईमेल एड्रेस बने होने का प्रमाण।
25	महाविद्यालय के नाम दर्शायी गयी उपरोक्त भूमि का उपयोग अन्य कारों के लिये न किया जा रहा है, यथा-सी.टी.सी., आई.टी.आई., पालिटेक्निक आदि संस्थाओं के लिये भी उक्त भूमि का उपयोग नहीं किया जा रहा है, इस आशय का शपथ-पत्र भी प्रबन्धक द्वारा दिया जाय।
26	जिस विषय की स्थायी सम्बद्धता दिया जाना है, उसमें शिक्षक/प्राचार्य का भौतिक सत्यापन पुनः कराया जाय।
27	महाविद्यालय में पूर्व से चल रहे सभी विषयों का कक्ष संचालन/टकित प्रति महाविद्यालय द्वारा पूर्ण करा लिया गया है।
28	विश्वविद्यालय परीक्षा सम्बन्धी व्यय/अग्रिम का पूर्ण समायोजन करा लिया गया है।
29	सभी अभिलेख प्रबन्धक एवं अनुमोदित प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।
30	महाविद्यालय के पूर्ण भूमि/भवन का मानचित्र आर्किटेक्ट से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाय।
31	संस्था/महाविद्यालय की भूमि के खिलाफ कोई वाद/विवाद तो नहीं है, का प्रमाण(शपथ पत्र)।
32	सम्बद्धता प्राप्त पाठ्यक्रमों में दी गयी शर्तों की पूर्णता वाली स्थिति(शपथ पत्र)।
33	महाविद्यालय कोई न्यायालयी विवाद है तो उसका विवरण(शपथ पत्र)।
34	विश्वविद्यालय से महाविद्यालय का रुट चार्ट।
35	महाविद्यालय के स्थलीय निरीक्षण के समय निरीक्षण भण्डल की विडियोग्राफी महाविद्यालय अपने स्तर से कराये तथा उसकी सी०डी०/पेनड्राइव कुलसंचिव कार्यालय तथा कुलपति संचिवालय में एक-एक प्रति अवश्य उपलब्ध करायें।

उच्चर टेकिंग:

- १. मैंने अवस्थापना सुविधाओं के सम्बन्ध में स्वयं अभिलेखों एवं स्थल का निरीक्षण कर लिया है और मानक पूर्ण होने की स्थिति से पूर्णतः सन्तुष्ट हूँ।
- २. यदि निरीक्षण आख्या में कोई त्रुटि भविष्य में प्रकाश में आयेगी तो हम सभी सदस्य सामूहिक रूप से दण्ड के भागी होंगे।

स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर अरथायी सम्बद्धता हेतु आवेदन पत्र

क्र.सं.	निरीक्षण—विन्दु
1	सम्बद्धता हेतु याचित पाठ्यक्रम में प्रदत्त अनापत्ति/सशर्त सम्बद्धता के आदेश की प्रति (अनापत्ति दर्शित भूमि का विवरण)
2	शासनादेश दिनांक 10 जून, 2008 द्वारा विश्वविद्यालय स्तर पर अनापत्ति/सम्बद्धता की संस्तुत हेतु गठित समिति की संस्तुति का प्रमाण।
3	विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता दिये जाने के सम्बन्ध में की गई संस्तुति।
4	निरीक्षण मण्डल की संस्तुति।
5	महाविद्यालय में मानकानुसार व्याख्यान कक्षों, पुस्तकालय, अध्यापक कक्ष, प्रशासनिक कक्ष, प्राचार्य कक्ष, परीक्षा एवं गीटिंग कक्ष, शैक्षालयों, पैयजल तथा चहारदीवारी आदि के निर्माण कराये जाने की स्थिति।
6	फर्नीचर एवं पुस्तकों की व्यवस्था की स्थिति।
7	प्रार्थोगिक पाठ्यक्रम/विषय होने की स्थिति में सम्बन्धित प्रयोगशालाएँ स्थापित होने एवं उसमें पर्याप्त उपकरण/संयन्त्र होने की स्थिति।
8	महाविद्यालय को संचालित करने वाले समिति/द्रस्ट के पंजीकरण एवं वैधता की तिथि।
9	महाविद्यालय की मानकानुसार भूमि महाविद्यालय के नाम राजस्व अग्रिमेखों में अंकित होने से सम्बन्धित खतोनी मूलरूप में या छायाप्रति तहसीलदार/उपजिलाधिकारी से प्रमाणित होने की स्थिति।
10	दर्शायी गयी भूमि सोसायटी/द्रस्ट के नाम होने की स्थिति में महाविद्यालय को 30 वर्ष के लिए उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी पंजीकृत लीज डीड का प्रमाण।
11	दिनांक 21.10.2005 के पश्चात संचालित होने वाले महाविद्यालय की भूमि के समस्त गांठों का संयुक्तता एवं नजरी—नवशा मूलरूप में सक्षम राजस्व अधिकारी से प्रमाणित होने की स्थिति का सुरक्षित प्रमाणपत्र
12	महाविद्यालय नगर निगम, नगर पालिका व नगर पंचायत क्षेत्र में अवरित्त होने की स्थिति में सन्दर्भगत निकाय के सक्षम अधिकारी का मूल प्रमाण—पत्र उपलब्ध होने की स्थिति।
13	मानकानुसार सोसायटी/द्रस्ट की विगत तीन वर्षों की सी.ए. द्वारा प्रमाणित बैलेंस—सीट अथवा तहसीलदार द्वारा प्रमाणित सोसायटी के (जिसका पंजीकरण 03 वर्ष से कम अवधि का है) वार्षिक आय का मूल प्रमाण—पत्र।
14	मानकानुसार सोसायटी/महाविद्यालय के बचत खाते में जमा धनराशि का प्रमाण।
15	मानकानुसार संकाय/पाठ्यक्रम हेतु प्रामूल धनराशि कुलसंचिव के पदनाम से बन्धक (प्लेज्ड) होने की स्थिति।
16	प्रबन्ध तन्त्र के द्वारा आवेदन—पत्र में अंकित विवरण/प्रविष्टियाँ तथ्यों पर आधारित एवं सही हैं, का प्रबन्धक एवं एक सदस्य द्वारा एक साथ रु. 100/- के स्टॉप्प ऐपर पर फोटोयुक्त नोटरी से सत्यापित शपथ—पत्र मूलरूप में होने की स्थिति।
17	याचित पाठ्यक्रम/विषय के स्नातकोत्तर स्तरीय होने की स्थिति में महाविद्यालय के यू.जी.सी. की धारा—2एफ में पंजीकृत होने की स्थिति तथा याचित विषयों/पाठ्यक्रमों के स्नातक स्तर पर स्थाई होने का प्रमाण।
18	महाविद्यालय में पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों का विवरण एवं विगत तीन वर्षों के 60 प्रतिशत विश्वविद्यालय द्वारा प्रमाणित/सत्यापित परीक्षाफल की पुष्टि।
19	प्रबन्ध समिति के गठन व अनुमोदन की स्थिति।
20	मानकानुसार प्राचार्य/प्रवक्ताओं के विश्वविद्यालय के द्वारा अनुमोदन /नियुक्ति तथा नियुक्ति की संविदा अवधि एवं अद्यतन कार्यरत होने की पुष्टि।
21	निरीक्षण मण्डल के सदस्यों के साथ भवन का फोटोग्राफ्स, चहारदीवारी निर्मित होने का प्रमाण—पत्र, व्याख्यान कक्षों, पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला के सुसज्जन का निरीक्षण दल के साथ रप्ट फोटोग्राफ्स व फोटो पर सभी सदस्यों के हस्ताक्षर उपलब्ध होने की स्थिति।
22	नियुक्त प्राचार्य/प्रवक्ताओं के वेतन भुगतान के सम्बन्ध में बैंक के द्वारा पुष्टि।
23	सामूहिक नकल का आरोप न होने का प्रमाणपत्र।
24	महाविद्यालय भवन नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार एवं अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था होने का प्रमाण।
25	महाविद्यालय का ब्लू प्रिन्ट नवशा आकिटेक्ट द्वारा प्रमाणित।
26	महाविद्यालय के नाम दर्शायी गयी उपरोक्त भूमि का उपयोग अन्य कार्यों के लिये न किया जा रहा हो, यथा—बी.टी.सी.,आई.टी.आई., पालिटेक्निक आदि संस्थाओं के लिये भी उक्त भूमि का उपयोग नहीं किया जा रहा है, इस आशय का शपथ—पत्र भी प्रबन्धक द्वारा दिया जाय एवं महाविद्यालय की वेबसाइट/ईमेल एड्रेस बने होने का प्रमाण।
27	शासनादेश संख्या—23/2016/772/सत्तर—2—2016—16 (116)/2015 टी०सी०—11 दिनांक 22 दिसम्बर 2016 स्तम्भ—1 (छ) के उत्तर स्तम्भ—2 के (छ) के अनुसार " निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति।
28	महाविद्यालय के स्थलीय निरीक्षण के समय निरीक्षण मण्डल की विडियो ग्राफी महाविद्यालय अपने स्तर से कराये तथा उसकी रुपीय प्रति आवश्य उपलब्ध कराये।

उन्नर टेकिंग :

- १. मैंने अवरथापना सुविधाओं के सम्बन्ध में स्वयं अग्रिमेखों एवं स्थल का निरीक्षण कर लिया है और मानक पूर्ण होने की स्थिति से पूर्णतः सन्तुष्ट हूँ।
- २. यदि निरीक्षण आख्या में कोई त्रुटि भविष्य में प्रकाश में आयेगी तो हम सभी सदस्य सामूहिक रूप से दण्ड के भागी होंगे।